माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों हेतु आवश्यक सूचना

जिन निजी विद्यालयों ने राजस्थान बोर्ड से ऑफलाईन स्थाई सम्बद्धता हेतु **वर्ष 2017 से पूर्व 'प्रपत्र ग'** इस कार्यालय में जमा कराया है और उन्हें अब तक अस्थाई/स्थाई सम्बद्धता नहीं मिली है, ऐसे विद्यालय बोर्ड को पूर्व प्रस्तुत प्रलेखों की छायाप्रति, बोर्ड में जमा सम्बद्धता एवं वार्षिक शुल्क की रसीदों की छायाप्रति तत्काल **सहायक निदेशक (सम्बद्धता) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर – 305001** के नाम **दिनांक 20 जुलाई, 2021** तक आवश्यक रूप से जरिये स्पीड पोस्ट से भिजवा देवें। बोर्ड को भेजे जाने वाले आवश्यक वांछित प्रलेखों (1. क्रमोन्नति/मान्यता आदेश 2. विद्यालय भवन के अनुमोदित नक्शे की प्रमाणित प्रति 3. विद्यालय/संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र व प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची 4. सी.सी.टी.वी. कैमरे की उपलब्धता का प्रमाण पत्र 5. शाला प्रधान का नियमानुसार शाला संचालन का प्रमाणीकरण) के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर लिंक School affiliation portal पर भी उपलब्ध है।

जिन निजी विद्यालयों को बोर्ड द्वारा पूर्व में अस्थाई सम्बद्धता प्रदत्त की जा चुकी है और उन्हें अस्थायी सम्बद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वे भी अविलम्ब बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर सम्बद्धता हेतु लिंक School affiliation portal पर **"पूर्व क्रमोन्नत प्रपत्र"** में ऑनलाईन आवेदन करें अन्यथा आगामी सत्र से ऐसे विद्यालय के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दिया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व शाला प्रधान का होगा।

सचिव